

**कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित,
जिला - जाँजगीर-चांपा (छ.ग.)**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियाँ

क्र.	विवरण	उत्तर (जानकारी)
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।	अजजा, अजा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के समुदाय को व्यवसाय हेतु ऋण सहायता संबंधित कार्य।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य।	कलेक्टर के अधीन विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।
3	अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	प्रदाय ऋण का निरीक्षण एवं सततनिगरानी
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	निरंक (शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है)
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश और अभिलेख।	शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है।	विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं से संबंधित समस्त अभिलेख।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	जिला स्तर से नीति निर्माण हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और उसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है?	निरंक।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय के सूचना पटल में अधिकारी/कर्मचारियों का नाम, पदनाम अंकित है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा	निरंक।

11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों संबंधी रिपोर्ट, सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट।	निरंक।
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा।	निरंक।
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्त्ताओं का विवरण।	निरंक।
14	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा।	निरंक।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जन साधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय, वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	निरंक।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्ट्यो।	लोक सूचना अधिकारी श्री रमेश तिवारी क्षेत्राधिकारी जिला अंत्यावसायी जांजगीर, अपीलीय अधिकारी श्री एस.पी.सिंह कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी जांजगीर-चाम्पा छ.ग.
17	अन्य उपयोगी जानकारियों।	निरंक।



कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति
मर्यादित जांजगीर-चांपा(छ.ग.)